कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– /FP/UK/ROAD/10903/2015 देहरादूनः दिनांकः 28 जनवरी 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत देवलधार–मैथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.9975 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/182/2016/एफ0सी0/1232 दिनांकः–13.09.2018

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2815/12–1–2 दिनांक 19.01.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 13.995 है0 ग्राम दुलम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 13.995 है0 ग्राम दुलम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0 42,89,901.00 RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR 52020021000015906 दिनांक 10–02–2020 से जमा की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 13.995 है0 ग्राम दुलम सिविल भूमि का जिलाधिकारी, जनपद–बागेश्वर के आदेश संख्या–40/छब्बीस–10वन/2014–15 दिनांक 01–01–2019 के द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। संदर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 45,97,358.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में यदि सक्षम स्तर से एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 685/ 2 इ. प. ख्र.   दिनांक 28/02/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत देवलधार–मैथान–लेटी –गिरेछीनना मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 6.9975 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।
प्रस्ताव सं0 – FP/UK/ROAD/10903/2015

सन्दर्भः– 8बी0/यू0सी0पी0/06/182/2016/एफ0सी0/1232 दिनांक 13.09.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

O/C

पत्रॉक 685 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी देहरादून को सन्दर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी बागेश्वर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

O/C

जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत देवलधार–मैथान–लेटी –गिरेछीनना मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 6.9975 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0/यू0सी0पी0/06/182/2016/एफ0सी0/1232 दिनांक 13.09.2018 द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या।

अनुपालन आख्या

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति पर अधिरोपित शर्तो बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है।

1– शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 13.995 है0 ग्राम दुलम सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 42,89,901.00 मात्र (रू0 बयालीस लाख उन्नासी हजार नौ सौ एक मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR नं0 SBINR 52020021000015906 दिनांक 10.02.2020 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 13.995 है0 ग्राम दुलम का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 40/छब्बीस–10वन/2014–15 दिनांक 01.01.2019 द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–238/र0का0/वन भू0ह0/2018 दिनांक 08.01.2019 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण /नामान्तरण कर दिया गया है।(संन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)

2– शर्त सं0 2 के अनुपालन में रू0 4597358.00 पैंतालीस लाख सतानबे हजार तीन सौ अठावन मात्र) एन0पी0वी0 की धनराशि भुगतान UTR नं0 SBINR 52020021000015906 दिनांक 10.02.2020 द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है।

3– शर्त सं0 3 के अनुपालन में सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 की दरें में बढोत्तरी होने पर बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धित वचतबद्वता पहले ही प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। प्रमाण पत्र पुनः संलग्न है।

4– शर्त सं0 4 के अनुपालन में शुद्व वर्तमान मूल्य एवं सभी दूसरी निधियॉ RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कर दी गयी है। बैंक से प्राप्त यू0टी0आर0 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

5– शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।

6– शर्त सं0 6,7 एवं 8 पार्ट–1 में पुनः ऑनलाईन कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों सहित पूर्ण अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करते हुए प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति एवं भारत सरकार से भूमि हस्तान्तरण आदेष जारी कराने की कृपा करें।

संलग्न– (1) जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 01.01.2019 की प्रति।
(2) तहसीलदार बागेश्वर के पत्र दिनांक 08.01.2019 खतोनी की प्रति सहित।
(3) RTGS/NEFT फार्म की प्रति।
(4) शासनादेश की प्रति संलग्न है।
(5) प्रमाण पत्र।
(6) एन0पी0वी0 बिल की प्रमाणित प्रति।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या–238/र०का०/वन भू०ह०/2018 दिनांक 08 जनवरी, 2019

पंजी. नं. 25-9-2019
डायरी नं. 155
दिनांक 21-1-19
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त 6.9975 है० की दुगुनी अवनत भूमि 13.995 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या– 40/छब्बीस– 10 वन/2014–15 दिनांक 01/01/19 के अनुपालन में ग्राम दुलम राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र लोहारखेत तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 47 के पैमायशी खेत नं० 4646 रकवा 8.125 है० एवं खेत नं० 4647 रकवा 7.875 है० मध्ये 5.870 है० कुल 13.995 है० श्रेणी 9(3) ख (2) जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण दर्ज कर खतौनी उद्धरण मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :–
(1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण के अवलोकनार्थ प्रेषित।
(2) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण प्रेषित।

8/1/19
तहसीलदार
कपकोट।

वन भूमि

उद्धरण गैर ज० वि० खतौनी

ग्राम- दुलम रा० वृ० नि० क्षेत्र- लोहारखेत तह० कपकोट जनपद- बागेश्वर

श्रेणी - 6(3) ख

ख० खा० संख्या	नाम खातेदार	प्राप्ति अधिकार [illegible]	खेत नम्बर	रकबा (है०)	लगान	अन्य
047	जंगल		2622	0.745		कृ० का०- श्रीमान जि० का० महोदय बागेश्वर पत्र सं० 01/ [illegible] वन / [illegible] /02-03 दिनांक 24.4.03 के C.P.1 एवं सम्बन्ध के पास खेत नम्बरान रिकार्ड न मिलने पर बतौर कतुल [illegible] के खा० नं० 47 जंगल 40 नम्बर 41 का [illegible] से कुल 15.490 है० वन पंचायत के नाम नामांकन किया है। [illegible] 26/5/03 लोहारखेत
			2623	2.158		
			2624	5.430		
			2625	2.250		
			बयस:			
			4644	13.313		
			4646	8.125		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के कार्यालय पत्र सं० 40/ [illegible] -10 वन/2011-15 दिनांक 01/01/19 के अनुसार राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में [illegible] लोटी- गिरेछीना [illegible] मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 6.997 है० की दुगुनी वन भूमि 13.995 है० भूमि [illegible] खा० सं० 47 के [illegible] खेत नं० 4646 रकबा 8.125 है०, खेत नम्बर 4647 रकबा 5.870 है० कुल 13.995 है० भूमि शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)2012-18(120)/2012 दिनांक 13 दिसम्बर 2012 तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार [illegible] देहरादून के पत्र सं०-08 बी०/यू० सी० पी०/06/182/2016 / एफ० सी० / 1232 दिनांक 13.09.2018 से दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित / हस्तान्तरित किया जाता है। R.S 05/01/2019 लोहारखेत
			4647	7.875		
			4648	4.688		
			4649	0.620		
			4650	5.930		
			4652	5.888		
			4653	1.313		
			4655	6.625		
	योग		29	162.193		

महोदय

तैयार किया,

सत्यापित।

[illegible] 5/1/19
तहसीलदार
तहसील कपकोट

राजस्व उपनिरीक्षक [illegible] 05/01/2019
क्षेत्र लोहारखेत
[illegible] (बागेश्वर)

आदेश

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर राज्य योजना के अंतर्गत जनपद,बागेश्वर में देवलधार–माईथान–लेटी–गिरेछीना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 6.9975 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 13.995 है0 जो ग्राम दुलम राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–47 के पैमाईशी खेत नम्बर 4646 रकवा 8.125 है0 एंव खेत नं0 4647 रकवा 7.875 है0 मध्ये 5.870 है0 कुल रकवा 13.995 है0 भूमि जो श्रेणी 9(3)ख (2) जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)2012–18 (120)/2012 दिनांक 17दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण,वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्या–08 बी/यू0सी0पी0/06/182/2016/एफ0 सी0/1232 दिनांक 13.09.2018 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या – 40/ छब्बीस –10 वन /2018–19 दिनांक 01/01/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।

2– संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी,कपकोट ।

3– अधिशासी अभियंता,प्रान्तीय खण्ड ,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।

4– तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-01-2020

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110903461
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/182/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	8887259/-

Amount in Words :Eighty-Eight Lakh Eighty-Seven Thousand Two Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110903461 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-01-2020

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110903461
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/182/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	8887259/-

Amount in Words :Eighty-Eight Lakh Eighty-Seven Thousand Two Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110903461 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

U.T.R. NO - SBINR52020021000015906

Dt- 10-02-2020

Unique Transaction Reference Number	SBINR52020021000015906
Value Date	10/02/2020
Related Reference Number	
Amount	8887259 INR
Commission	0
MessageType	P08

Beneficiary details

Beneficiary Account	150896110903461
Beneficiary Name	UTTARANCHAL CAMPA
Beneficiary IFSC Code	CORP0000371
Beneficiary Address1	DELHI
Beneficiary Address2	
Beneficiary Address3	
Dealer Code	

Details of Payment

Remitting Customer Details

Account Number	00000037608159322
Remitter's IFSC Code	SBIN0001693
Remitter's Name	PROV DIV PWD
Remitter's Address1	BAGESHWAR
Remitter's Address2	
Remitter's Address3	

Sender to Reciever's Information

ATTN//Deposit/Reinvestment

Error Details

Error Code	
Error Reason	

Additional Details

Instruction Priority	H: HIGH
Purpose Code	CASH Cash Management Transfer
Credit Status:	CREDIT CONFIRMED
Credit Time	10:02:15
Credit Date	10/02/2020

SBINR52020021000015906

rence Number 10/02/2020

ber 8887259 INR

0

P08

150896110903461

UTTARANCHAL CAMPA

CORP0000371

DELHI

Details

00000037608159322

SBIN0001693

PROV DIV PWD

BAGESHWAR

s Information

ıvestment

H: HIGH

CASH Cash Management Transfer

CREDIT CONFIRMED

10:02:15

10/02/2020

Close

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX-0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 182 / 2016 / एफ0सी0 / 1232 दिनांकः 13 / 09 / 2018

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : **Diversion of 6.9975 ha of forest land for construction of Dewaldhar-Maithan-Leti-Girechhina Motor Road in favour of PWD within the jurisdiction of Bageshwar Forest Division District Bageshwar, Uttarakhand (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10903/2015).**

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/10903/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक–889/X-4-16/1(279)/2016 दिनांक 06.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10903/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 27.08.2018 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं / दस्तावेजो के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार **Diversion of 6.9975 ha of forest land for construction of Dewaldhar-Maithan-Leti-Girechhina Motor Road in favour of PWD within the jurisdiction of Bageshwar Forest Division District Bageshwar, Uttarakhand** हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 13.995 है0 दुलम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**

5. सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

6. State Govt. will upload correct data about employment generation at para E (ii) online Part I.

(signature) 13/09/18

6. State Govt. will upload justification for locating the project in forest area duly C/S by DFO.
7. State Govt. will upload revise KML file of the CA area proposed at para L online Part I.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:--**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 13.995 है0 दुलम सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस--पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. निर्माण के पश्चात् जहां--जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख--रेख में strip plantation की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
8. परियोजना के निर्माण व रख--रखाव के दौरान आस--पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव--जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 295 से अधिक न हो।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख--रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिमेवारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक